

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/
सी. ओ./रायपुर/17/2002.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 223]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 22 सितम्बर 2005 – भाद्र 31, शक 1927

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग
जी. ई. रोड, सिविल लाईन, रायपुर

रायपुर, 13 सितम्बर 2005 :

क्रमांक 7/सी.एस.ई.आर.सी/2005, विद्युत अधिनियम 2003 (वर्ष 2003 का क.36) धारा 47 (1) सहपठित धारा 181(2)(अ), धारा 47(4) सहपठित धारा 181 (2) (w) धारा 47(2), 47(3) तथा 47(5) सहपठित धारा 181 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, एतद् द्वारा, राज्य के विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा अनुज्ञापतिधारी को जमा किए जाने वाले सुरक्षा निधि सम्बन्धी निम्नलिखित विनियम बनाता है;

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :

- 1.1 ये विनियम छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (सुरक्षा निधि) विनियम,2005 कहलायेंगे।
- 1.2 ये विनियम छत्तीसगढ़ राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 1.3 इन विनियमों का विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।

2. परिभाषायें :

- 2.1 इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,
 - (1) 'अधिनियम' से तात्पर्य विद्युत अधिनियम, 2003 (वर्ष 2003 का क्रमांक 36) होगा।
 - (2) 'आयोग' से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग।
 - (3) 'उपभोग शुल्कों' से अभिप्रेत है, किलो वाट प्रति घण्टे की दर से उपभोग की गई विद्युत ऊर्जा का समुचित विद्युत दर से किया गया गुणनफल और इसमें मांग/स्थिर प्रभार, ईंधन लागत समायोजन प्रभार एवं कोई अन्य प्रभार आदि जैसे लागू हों, भी शामिल है।
 - (4) 'उच्च दाब उपभोक्ता' से अभिप्रेत है, उपभोक्ता, जिसे 440 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर विद्युत का प्रदाय किया जाए।
 - (5) 'अनुज्ञप्तिधारी' से अभिप्रेत है, वितरण अनुज्ञप्तिधारी।
 - (6) 'निम्न' दाब उपभोक्ता से अभिप्रेत है, उपभोक्ता, जिसे 440 वोल्ट तक की वोल्टेज पर विद्युत का प्रदाय किया जाए।
 - (7) 'माह' से अभिप्रेत है, केलेण्डर माह।
 - (8) 'राज्य' से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य।
- 2.2 इन विनियमों में प्रयुक्त, लेकिन अपरिभाषित शब्दों एवं अभिव्यक्तियों का, वही अर्थ होगा जो अधिनियम में अभिप्रेत है।

3. सुरक्षानिधि

- 3.1 कोई अनुज्ञप्तिधारी, कनेक्शन तथा ऊर्जा प्रदाय हेतु उपलब्ध कराये गये मीटर, लाईन एवं संयंत्र के मद में सभी उपभोक्ताओं से सुरक्षानिधि प्राप्त कर सकेगा।
- 3.2 सुरक्षानिधि केवल नगद या बैंक ड्राफ्ट के रूप में ही स्वीकार की जाएगी। चेक केवल इस शर्त के अधीन स्वीकार किये जा सकेंगे कि विद्युत प्रदाय, चेक राशि का भुगतान प्राप्त होने पर ही किया जाएगा।

4. नये विद्युत प्रदाय हेतु लगाये गये संयंत्र/लाईन हेतु सुरक्षानिधि

उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदाय करने हेतु जहाँ कोई विद्युत लाईन या विद्युत संयंत्र, उपलब्ध कराया जाए, वहाँ अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ताओं से ऐसी लाईन या संयंत्र के लिए सुरक्षा निधि वसूल कर सकेगा।

5. मीटर सुरक्षा निधि (एम.एस.डी)

5.1 अनुज्ञप्तिधारी, मीटर सुरक्षा निधि वसूल सकेगा । नये कनेक्शन के संदर्भ में, विद्युत प्रदाय की स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने के प्रश्चात् तथा सर्विस कनेक्शन उपलब्ध कराने के पूर्व मीटर/मीटरिंग उपकरण के लिए, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा समय-समय पर आयोग के अनुमोदन से निर्धारित दरों की अनुसूची के अनुसार, मीटर सुरक्षा निधि देय होगी ।

यदि नये कनेक्शन का आवेदक, ऐसी सुरक्षा निधि देने में असफल हो, तो अनुज्ञप्तिधारी, यदि वह उचित समझे, ऐसी असफलता जारी रहने की अवधि के दौरान, विद्युत प्रदाय प्रारंभ करने से इन्कार कर सकेगा ।

5.2 चालू कनेक्शन के लिए, जहाँ पूर्व में मीटर सुरक्षा निधि प्राप्त न की गई हो, जब कभी मीटर बदला जावे, अनुज्ञप्तिधारी उपरोक्तानुसार निर्धारित दर पर मीटर सुरक्षा निधि प्राप्त कर सकेगा ।

5.3 जहाँ मीटर सुरक्षा निधि पूर्व में ही जमा करा ली गई हो, वहां मीटर के कार्य करने लायक न होने, मीटर के त्रुटिपूर्ण होने, उच्च तकनीकी, आदि कारणों से मीटर बदले जाने की दशा में, मीटर की लागत में अंतर की राशि, बाद में जमा नहीं कराई जा सकेगी ।

5.4 ऐसे उपभोक्ता द्वारा, जो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विनिर्दिष्ट मीटर की व्यवस्था अपनी लागत पर करता है, मीटर सुरक्षा निधि देय नहीं होगी ।

6 ऊर्जा सुरक्षा निधि (ई.एस.डी):

6.1 अनुज्ञप्तिधारी, नये कनेक्शन के लिए ऊर्जा सुरक्षा निधि ले सकेगा जिसकी गणना, विद्युत प्रदाय अनुबन्ध के अनुसार किलोवाट/हार्सपावर या के.बी.ए. में संबद्ध भार/संविदा मांग के आधार पर निम्नलिखित रीति में की जायेगी ।

क्रमांक	श्रेणी	सुरक्षा निधि की परिगणना के लिए यूनिट प्रति माह, दौरान, (30 दिन) के लिए आंकलित उपभोग
1	घरेलू	(1) 140 यूनिट प्रति किलोवाॅट (2) 35 यूनिट प्रति 250 वाॅट या उसका कोई भाग ।
2	एकल बत्ती कनेक्शन	20 यूनिट प्रति कनेक्शन
3	गैर घरेलू	(1) 140 यूनिट प्रति किलो वाॅट (2) 35 यूनिट प्रति 250 वाट या उसका भाग
4.	जल संयंत्र (वाटर वर्क्स)	(1) 150 यूनिट/किलो वाॅट, या (2) 110 यूनिट/हार्स पावर
5	औद्योगिक	70 यूनिट/किलो वाट या 50 यूनिट/हार्स पावर

6	कृषि	120 यूनिट / हार्स पावर
7	श्रेणर कनेक्शन	360 यूनिट / हार्स पावर
8	स्ट्रीट लाईट	180 यूनिट / किलो वाट
9	उच्च दाब उपभोक्ता	420 यूनिट / किलो वाट या 380 यूनिट / के.वी.ए

- 6.2 सुरक्षा निधि का आकलन कंडिका 6.1 के अनुसार विद्युत उपभोग के आधार पर होगा एवं निधि की राशि निम्न तालिका में विनिर्दिष्ट दिनों के बराबर विद्युत उपभोग के लिए होगी। निधि का निर्धारण प्रचलित विद्युत टैरिफ एवं अन्य सभी प्रभारों को लगा कर किया जावेगा।

क्रमांक	उपभोक्ताओं की प्रकृति	दिनों की संख्या
1	कृषि (1) स्थाई (2) अस्थाई	90 अस्थाई कनेक्शन की संपूर्ण अवधि के लिए।
2	मौसमी	वार्षिक उपभोग का 25 प्रतिशत।
3	स्टोन क्रशर, हॉट मिक्स प्लांट	90
4	ऐसे उपभोक्ता जो परिसर पर अपने विधिक आधिपत्य का सबूत उपलब्ध कराने में असमर्थ हों।	90
5	अन्य उपभोक्ता	45

उपरोक्तानुसार परिगणित सुरक्षा निधि को अगले 10 रूपयों तक पुर्णकित किया जाएगा।

- 6.3 यदि नए कनेक्शन का आवेदक ऐसी सुरक्षा निधि देने में असफल हो तो अनुज्ञप्तिधारी, यदि वह उचित समझे ऐसी असफलता जारी रहने की अवधि के दौरान, विद्युत प्रदाय प्रारंभ करने से इंकार कर सकेगा।
- 6.4 अनुज्ञप्तिधारी ऊर्जा सुरक्षा निधि प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा यदि, वह व्यक्ति जिसे विद्युत प्रदाय की आवश्यकता हो, अग्रिम भुगतान वाले मीटर के माध्यम से ऊर्जा लेने हेतु सहमत है।

7 विद्युत ऊर्जा के लिए अतिरिक्त सुरक्षा निधि

- 7.1 निम्न दाब उपभोक्ताओं के लिए, उनसे प्राप्त होने वाली ऊर्जा सुरक्षा निधि की राशि, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रति वर्ष अप्रैल माह में पिछले बारह माह के उपभोग के आधार पर पुनर्निर्धारित की जाएगी। उच्च दाब उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा सुरक्षा निधि का अर्धवार्षिक पुनर्निर्धारण प्रति वर्ष अक्टूबर तथा अप्रैल माह में, पिछले छः माह के उपभोग के आधार पर किया जाएगा। इस पुनर्निर्धारण के आधार पर, अपेक्षित सुरक्षानिधि और विद्युत दर (टैरिफ) आदि पर आधारित अनुज्ञप्तिधारी द्वारा रखी गई सुरक्षा निधि में यदि

100 रूपये या उससे अधिक का अंतर हो तो अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता को अतिरिक्त सुरक्षा निधि जमा करने हेतु मांग पत्र दे सकेगा, ताकि ऊर्जा सुरक्षा निधि को इन विनियमों के खण्ड 6.1 तथा 6.2 की सारणियों में दर्शाये गये ऊर्जा सुरक्षा निधि राशि के अवधि/उपभोग के स्तर तक बनाये रखा जा सके ।

- 7.2 अनुज्ञप्तिधारी, अतिरिक्त सुरक्षा निधि के लिए नोटिस जारी करेगा तथा उसे जमा कराने हेतु एक माह का समय देगा । यदि उपभोक्ता, नोटिस के अनुसार अतिरिक्त सुरक्षा निधि जमा करने में असफल रहे, तब अनुज्ञप्तिधारी, उस समय तक, जब तक कि ऐसी असफलता जारी रहे, विद्युत प्रदाय करने से मना करने या उसे बंद करने का हकदार होगा । इन विनियमों के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी के विद्युत प्रदाय बंद करने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि उपभोक्ता सुरक्षा निधि के भुगतान में विलम्ब करता है, तो वह ऐसा अधिभार पटाने हेतु उत्तरदायी होगा जो कि टैरिफ आदेश में उल्लेखित उस अधिभार के बराबर हो जो ऊर्जा मांग प्रभार के विलंबित संदाय पर देय होता है ।
- 7.3 वे उपभोक्ता, जिन्होंने 45 दिन के उपभोग के बराबर या उससे अधिक सुरक्षा निधि जमा की हो, एक वित्तीय वर्ष में 3 से अधिक बार मासिक देयकों के भुगतान में चूक करते हैं, तो उस दशा में, अनुज्ञप्तिधारी उनकी सुरक्षा निधि 100 प्रतिशत तक बढ़ाने का हकदार होगा ।
- 7.4 उन उपभोक्ताओं के मामले में जिन्हें अतिरिक्त भार स्वीकृत किया गया हो, अतिरिक्त सुरक्षा निधि की परिगणना अतिरिक्त भार के लिए उसी प्रकार की जाएगी जैसे कि वह नई सेवा हो । इसी प्रकार यदि संविदा मांग कम हो जाती है, तो अनुज्ञप्तिधारी सुरक्षा निधि की पुनः परिगणना कर सकेगा और सुरक्षा निधि से आधिक्य की राशि, उस माह, जिसमें संविदा मांग में कमी को अंतिम रूप दिया गया हो, के अगले माह से तीन समान किशतों में आगामी विद्युत देयकों में समायोजित कर सकेगा ।
- 7.5 उपभोक्ता की प्रार्थना पर, अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता को तीन मासिक किशतों में अतिरिक्त सुरक्षा निधि जमा करने की अनुमति दे सकेगा ।

8. सुरक्षा निधि पर ब्याज

- 8.1 सुरक्षा निधि पर अनुज्ञप्तिधारी वर्तमान बैंक दर से ब्याज देगा । अनुज्ञप्तिधारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह ब्याज दर की जानकारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त करे और इसकी जानकारी उपभोक्ताओं को देयक से तंत्र दें । उपरोक्तानुसार ब्याज के भुगतान का दायित्व 01 अप्रैल 2005 से प्रभावशील होगा ।
- 8.2 ब्याज की राशि वर्ष में दो बार सितम्बर तथा मार्च माह के अंत में परिगणित की जाएगी । ब्याज की राशि मासिक देयक में समायोजित की जायेगी ।
- 8.3 सुरक्षा निधि पर ब्याज के भुगतान में विलंब की दशा में अनुज्ञप्तिधारी ब्याज की राशि पर एक प्रतिशत प्रतिमाह की दर से प्रत्येक माह या उसके किसी भाग पर, विलंबित अवधि के लिए साधारण ब्याज देने हेतु उत्तरदायी होगा । इसके अतिरिक्त वह ऐसी शक्तियाँ जैसे कि उस पर समुचित प्राधिकारी द्वारा ऐसे विलंब के लिए अधिरोपित की जाए देने हेतु उत्तरदायी होगा ।

8.4 अनुज्ञापितधारी द्वारा सुरक्षा निधि पर ब्याज के समायोजन में विलंब यदि तीन माह से अधिक का हो तो उपभोक्ता संबंधित फोरम, जो कि अधिनियम की धरा 42 की उप धारा 6 के अधीन गठित की जाये, में शिकायत दर्ज करा सकेगा ।

9. सुरक्षा निधि की वापसी :-

सुरक्षा निधि, अनुबंध की समाप्ति पर तथा समस्त बकायों के समायोजन के उपरांत समस्त औपचारिकताओं के पूर्ण होने के साठ दिनों के भीतर उपभोक्ता को वापस की दी जायेगी । साठ दिनों के अवधि के बाद विलंब की दशा में एक प्रतिशत प्रतिमाह या उसके किसी भाग पर ब्याज उपभोक्ता को देय होगा ।

10. संशोधन की शक्ति

आयोग किसी भी समय इन विनियमों के प्रावधानों को बढ़ा या घटा सकेगा या परिवर्तित, उपांतरित या संशोधित कर सकेगा ।

11. व्यावृति (बचाव)

11.1 इन विनियमों के प्रावधान आयोग के न्याय के हित में आवश्यक समझे जाने वाले तथा आयोग की प्रक्रिया का दुरुपयोग रोकने हेतु यथोचित आदेश करने की अंतर्निहित शक्ति को सीमित या अन्यथा प्रभावित करने वाले नहीं समझे जायेंगे ।

11.2 इन विनियमों के कोई प्रावधान आयोग को अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप कोई ऐसी प्रक्रिया, जो इन विनियमों के किन्हीं प्रावधानों के विसंगत हो, अपनाने से रोकने वाले नहीं समझे जायेंगे यदि आयोग किसी विषय या विषयों के वर्ग की विशेष परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए और ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जायें इसे आवश्यक एवं उस विषय या विषयों के वर्ग के संबंध में त्वरित कार्य करने हेतु समुचित समझें ।

11.3 इन विनियमों की कोई बात प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आयोग को किसी विषय के संबंध में कार्यवाही करने या अधिनियम के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग करने से, जिसके लिए विनियम नहीं बनाए गए हैं, रोकने वाली नहीं समझी जाएगी और आयोग ऐसे विषयों के संबंध में कार्यवाही तथा शक्तियों और कृत्यों का ऐसी रीति से प्रयोग जैसा वह उचित समझे, कर सकेगा ।

नोट: इन विनियमों के हिंदी संस्करण के प्रावधानों की व्याख्या में या उसे समझने में इसके अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) से किसी प्रकार की भिन्नता पायी जाती है तो अंग्रेजी संस्करण को सही माना जायेगा और इस संबंध में विवाद की दशा में आयोग का निर्णय अंतिम और बंधनकारी होगा ।

आयोग के आदेशानुसार

(अजय श्रीवास्तव)
उप सचिव

CHHATTISGARH STATE ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

Civil Lines, G.E. Road, Raipur (C.G.)-492 011

Ph.0771-5073555, Fax:5073553

Raipur: Dated 13th September 2005

No. 7 /CSERC/2005. In exercise of powers conferred by section 47 (1) read with section 181 (2) (v), section 47 (4) read with section 181 (2) (w), sections 47 (2), 47(3), and 47(5) read with section 181(1) of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission hereby makes the following Regulations related to the security deposited by the Electricity Consumers of the State to the licensee;

1. Short Title and Commencement

- 1.1 These Regulations shall be called the **Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Security Deposit) Regulations, 2005.**
- 1.2 These Regulations shall come into force from the date of their final publication in the Chhattisgarh Rajpatra.
- 1.3 The Regulations extend to the entire State of Chhattisgarh.

2. Definition

- 2.1 In these Regulations, unless the context otherwise requires:-
 - (1) “**Act**” means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);
 - (2) “**Commission**” means the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission;
 - (3) “**Consumption charges**” means the consumption of electrical energy in KWh multiplied by appropriate tariff rates and also includes Demand/Fixed charges, Fuel Cost Adjustment (FCA) and any other charges etc., wherever applicable.
 - (4) “**High tension (HT) consumer**” means a consumer who is supplied electricity at a voltage higher than 440 volts.
 - (5) “**Licensee**” means a Distribution Licensee.
 - (6) “**Low tension (LT) consumer**” means a consumer who is supplied electricity at a voltage up to 440 volts.
 - (7) “**Month**” means the calendar month.
 - (8) “**State**” means the State of Chhattisgarh;
 - 2.2 Words and expressions used and not defined in these Regulations but defined in the Act shall have the same meaning as assigned to them in the Act.
- ## **3. Security Deposit**
- 3.1 A licensee may collect security deposit from all consumers in respect of the meters, line and plant provided for the connection and supply of energy.

3.2 The security deposit shall be accepted in the form of cash or draft only. Cheques may be accepted subject to the condition that supply will commence only on realisation of the cheque.

4. Security Deposit against plant/line for giving new supply

The licensee may recover security deposit from consumers for line or plant where such electric line or electrical plant is to be provided for supplying electricity to the consumer.

5. Meter Security Deposit (MSD)

5.1 The licensee may collect Meter Security Deposit (MSD). In respect of new connections, MSD is payable after communication of sanction of power supply and before providing the service connections, towards the meter / metering equipment at the rates as per schedule of rates prescribed by the licensee from time to time with the approval of the Commission. If the applicant for a new connection fails to give such security, the licensee may, if he thinks fit, refuse to commence supply of electricity for the period during which the failure continues.

5.2 The licensee may collect MSD in respect of existing connections where MSD has not been collected, whenever the meter is replaced, at rates prescribed above.

5.3 In case where MSD has already been collected, no difference in cost of the meter shall be collected subsequently when the meter is replaced for reasons of high technology, meter being faulty, meter not being in working order etc.

5.4 MSD shall not be payable by a consumer who provides the meter at his cost but as per the specifications of the licensee.

6. Energy Security Deposit (ESD)

6.1 For any new service connection the licensee may take a security deposit, which shall be calculated on the connected load/ contract demand in KW, HP or KVA as the case may be, as in the Supply agreement, for various categories of consumers in the following manner:

S. No.	Category	Assessed consumption in units per month (30 days) for calculation of security deposit
1.	Domestic	i) 140 units per KW ii) 35 units per 250 Watts or part thereof
2.	SLP	20 units per connection
3.	Non-domestic	i) 140 units per KW ii) 35 units per 250 Watts or part thereof
4.	Water works	150 units per KW or 110 units per HP
5.	Industrial	70 units per KW or 50 units per HP
6.	Agriculture	120 units per HP
7.	Thresher connections	360 units per HP
8.	Street light	180 units per KW
9.	HT consumers	420 units per KW or 380 units per KVA

- 6.2 The security deposit shall be determined on the basis of assessed consumption as per 6.1 and shall be an amount equivalent to the estimated consumption of specific number of days, applying the prevailing tariff and other charges, as indicated in the following table:

Sl.No.	Nature of Consumer	No. of Days
1.	Agricultural i) permanent ii) temporary	90 For the entire period of temporary connection
2.	Seasonal	25% of annual consumption
3.	Stone crusher, hot-mix plants	90
4.	Consumers unable to provide proof of legal occupation of premises	90
5.	Other consumers	45

The security amount calculated as above shall be rounded to the next 10 (ten) rupees.

- 6.3 If the applicant for a new connection fails to give such security, the licensee may, if thinks fit, refuse to commence the supply of electricity for the period during which the failure continues
- 6.4 The licensee shall not be entitled to require energy security deposits if the person requiring the supply is prepared to take the supply through a pre-payment meter.

7. Additional Security Deposit for Energy

- 7.1 For LT consumers the amount of the energy security deposit (ESD) obtained from the consumer will be reviewed by the licensee, annually on the basis of consumption during the previous 12 months, in the month of April. For HT consumers the amount of ESD shall be reviewed half-yearly in the months of October and April every year, on the basis of the consumption during the previous six months. Based on this review, the licensee may raise demand on the consumer to pay an additional security deposit, so as to maintain the amount of ESD equivalent to the period/ consumption shown in tables in clauses 6.1 and 6.2 of these regulations, if the amount of security deposit so required, based on the tariff applicable etc., exceeds the amount of the security deposit held by the licensee by Rs100/- or more.
- 7.2 The licensee shall issue a notice for the additional security deposit and allow a period of one month for such deposit. If the consumer fails to pay the additional security deposit as per the notice, the licensee is entitled to refuse or discontinue the supply of electricity so long as such failure continues. The consumer will be liable to pay surcharge, equivalent to the surcharge payable against delay in payment of energy/ demand charges (as stated in the tariff order) if he delays payment of security deposit, without prejudice to the licensee's right to disconnect supply of electricity, as per these Regulations.

- 7.3 In the event of default in the payment of monthly bills by consumers, who have deposited security equivalent to 45 days consumption or more, for more than three times in a financial year, the licensee shall be entitled to increase their security deposit by 100 per cent.
- 7.4 In the case of consumers who have been sanctioned additional load, the additional security deposit shall be calculated for the additional load as if it is a new service. Similarly, if the contract demand is reduced, the licensee may recalculate the security and give credit of excess security deposit, if any, by way of adjustments in three equal instalments in subsequent electricity bills of the consumer from the month subsequent to the month in which the agreement for reduced contract demand is finalized.
- 7.5 On consumer's request, the licensee may allow the consumer the facility to pay additional security deposit in three monthly instalments.

8. Interest on security deposits

- 8.1 The licensee shall pay interest, at the prevailing bank rate on the security deposits. It shall be the responsibility of the licensee to ascertain the prevailing bank rate from RBI and to inform the consumers through the billing mechanism. The liability of payment of interest as above shall be with effect from 1st April 2005.
- 8.2. The amount of interest shall be calculated twice in a year, at the end of September and March. Interest shall be adjusted in the monthly bills.
- 8.3 In case of delay in payment of interest on security deposit, the licensee shall be liable to pay an interest on the amount of interest at the rate of 1% per month or part thereof by way of simple interest, for the period of delay in addition to other penalties as may be imposed by appropriate authority for such delay.
- 8.4 In case of a delay exceeding a period of three months in adjustment of interest on security deposit, the consumer may lodge a complaint in the concerned Forum as constituted under sub section (5) of section 42 of the Act by the licensee.

9. Refund of Security Deposit

The security deposit shall be refunded to the consumer, upon termination of the agreement and after adjustment of all dues, within 60 days of completion of formalities. In case of delay beyond 60 day's period, interest at the rate of 1% per month or part thereof shall be payable to the consumer.

10. Power to Amend

The Commission may, at any time add, vary, alter, modify or amend the provisions of these Regulations.

11. Saving

- 11.1 Nothing in these Regulations shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent power of the Commission to make such orders as may be necessary to meet the ends of justice or to prevent abuses of the process of the Commission.
- 11.2 Nothing in these Regulations shall bar the Commission from adopting in conformity with the provisions of the Act a procedure, which is at variance with any of the provisions of these regulations, if the Commission, in view of the special circumstances of a matter or class of matters, and for reasons to be recorded in writing, deems it necessary or expedient for dealing with such a matter or class of matters.
- 11.3 Nothing in these Regulations shall, expressly or impliedly, bar the Commission in dealing with any matter or exercising any power under the Act for which no regulations have been framed, and the Commission may deal with such matters, powers and functions in a manner it thinks fit.

Note- In case of any difference in the interpretation or understanding of the provisions of the Hindi version of these Regulations with those of the English version (the original version), the latter will prevail and in case of any dispute in this regard, the decision of the Commission shall be final and binding.

By Order of the Commission

Ajay Srivastava
(Dy. Secretary)